संख्याः– 2772/उन्तीस/04/02–(52पे0)/2002

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग   देहरादूनः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2004

विषय गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सम्बंधी प्रावकलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 4022/धनावंटन प्रस्ताव/दिनाक–04–11–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सम्बंधी आगणन अनु0 लागत रू0 680.26 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 505.56 लाख (रू0 पॉच करोड पॉच लाख छप्पन हजार मात्र) की लागत के आगणन पर निम्नलिखित मदवार विवरणानुसार प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

धनराशि लाख रू0में

कम सं0	मद का नाम	प्राक्कलन मे अंकित राशि	परीक्षणोपरान्त स्वीकृत औचित्यपूर्ण राशि
1	आपरेटिंग स्टाफ पर व्यय	156.08	156.08
2	भवनो का रखरखाव व अन्य कार्य (सिविल एंव मैकेनिकल रिपेयर)	35.27	31.35
3	जनरेटर तथा पम्पिंग प्लाट की मरम्मत	47.12	46.77
4	राईजिंग मेन का रखरखाव	[illegible].25	1.75
5	विद्युत व्यय हेतु	92.73	92.73
6	डीजल तथा लुब्रीकेंट	33.22	33.22
7	अतिरिक्त स्टाफ	23.15	10.55
8	नाले की सफाई	11.14	11.14
9	सम्प एंव एस0डी0बी0की सफाई	45.82	34.74
10	गाडियो का रखरखाव	10.76	3.00
11	पुराने पम्पिंग प्लांटो को बदलना	39.90	02.27

12	सीवरेज की मरम्मत एवं रखरखाव	[illegible]28	—
13	एक्यूपमेंट्स,कैमिकल आदि हेतु	[illegible]95	2.30
	योग	[illegible]2.67	453.17
14	कन्टीजेन्सी 3 प्रतिशत	[illegible]77	—
	योग	[illegible]0.44	453.17
15	सैन्टेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत	[illegible]4.07	56.64
	योग	[illegible]4.51	509.81
16	वार्षिक प्राप्ति को कम करते हुए	(–) 1.25	(–) 4.25
	शुद्ध योग	[illegible]0.26	505.56

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट मे सम्मिलित नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों , की स्वीकृति नियमानुसार आगणन/मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नॉर्म है, स्वीकृत नॉर्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) उक्त योजना पर धनराशि का व्यय योजना की स्वीकृत लागत के अंतर्गत ही किया जायेगा ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जो धनराशि 31.03.2005 तक अवशेष रहती है उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

क्रमशः..3..

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० 1311/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 06 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः--2772(1)/उन्तीस/04/02-(52पे0)/2002 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1--महालेखाकार,, उत्तरांचल देहरादून ।
2--मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3--जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4--मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
5--महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,देहरादून ।
6--परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,हरिद्वार ।
7--निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 पेयजल मंत्री ।
8--वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ ।
9--निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव